

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1.) राकेश कुमार पिता- अशोक राम, 2.) कृष्णा कुमार वर्मा पिता- लालो राम, 3.) शिवम कुमार पिता- दीपू एवं 4.) ओम कुमार पिता- बैजू वेर्म ग्राम: बिंगलात, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत थाना सं. 49, ग्राम: बिंगलात, (रेयती भूमि) खाता सं. 9 के अधीन प्लॉट सं. - 31, 53, 67, 637, 652, 653, 692, 457/719, 365, 384, 409, 420, 457, 507, 521, 524, 544, 554, 564, 567, 574, 597, 174, 185, 201, 244, 245 & 174; खाता सं. 2 के अधीन प्लॉट सं. - 349; खाता सं. - 37; के अधीन प्लॉट सं. - 502, 604; कुल रकबा: - 8.0015 एकड़ (रेयती भूमि) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दाव/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) एवं क्षेत्रीय महाप्रबंधक (अम्नापाली-चंद्रागुप्ता), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

  
12/11/24.